डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम दूदू जिला जयपुर

नाम अदालत श्री शिलाल चन्द मीणा आर.ए.एस.

मुजलार मौके बनाम सरकार।

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा।

मुकदमा नं. 34/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री उदयसिंह चौधरी

हाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू विद्वान अभिभाषक वादी।

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद डिग्री किया जाकर विवादित आराजी ख०नं० 499 रकबा 1.21 हैक्टेयर वाकेग्राम सांख्यून तहसील दूदू जिला-जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मुबलिग बाबत

इस मुकदमें के गय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/5/2017 सन् को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान न्याय आपके द्वार शिविर 2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साखून, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 28/2015

वाद दायरी दिनांक : 28/04/2015

निर्णय दिनांक : 18/05/2017

भैरू पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी सीपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. कालू पुत्र श्री लादू जाति गुर्जर निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. देवाराम पुत्र श्री लादू जाति गुर्जर निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुरा राज0।
3. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री उदय सिंह चौधरी**
विद्वान अधिवक्ता वादी

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 18/05/17

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 1.21 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। वादी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र उक्त आराजीयात जिसके साबिक खसरा नम्बर 174 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा रहा है को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.02.1983 के जरिये वादी द्वारा क्रय की गई एवं कब्जा वादी को सम्भला दिया गया तब से वादी आज दिन तक शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात के विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक में नामान्तकरण संख्या 1758 भरा गया जो ग्राम पंचायत साखून द्वारा दिनांक 10.11.1985 को तस्दीक किया गया परन्तु राजस्व कर्मियों की त्रुटि से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया एवं आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान न्याय आपके द्वार शिविर 2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साखून, तहसील दूदू
शिविर प्रभारी अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 28/2015

वाद दायरी दिनांक : 28/04/2015

निर्णय दिनांक : 18/05/2017

भैरू पुत्र सुवा जाति गुर्जर निवासी सीपुरा तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. कालू पुत्र श्री लादू जाति गुर्जर निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।
2. देवाराम पुत्र श्री लादू जाति गुर्जर निवासी साखून तहसील दूदू जिला जयपुरा राज0।
3. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

-- प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री उदय सिंह चौधरी**
विद्वान अधिवक्ता वादी

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 18/05/17

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2067 से 2070 के आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 1.21 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। उक्त आराजीयात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। वादी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र उक्त आराजीयात जिसके साबिक खसरा नम्बर 174 रकबा 04 बीघा 16 बिस्वा रहा है को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.02.1983 के जरिये वादी द्वारा क्रय की गई एवं कब्जा वादी को सम्भला दिया गया तब से वादी आज दिन तक शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात के विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक में नामान्तकरण संख्या 1758 भरा गया जो ग्राम पंचायत साखून द्वारा दिनांक 10.11.1985 को तस्दीक किया गया परन्तु राजस्व कर्मियों की त्रुटि से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हो पाया एवं आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम

Scanned by CamScanner

चलती रही परन्तु कब्जा आज भी वादी का है। वादी जो कि एक गरीब काश्तकार है एवं अधिक पढा लिखा नहीं है ने नामान्तकरण तस्दीक होने पर यह समझ लिया कि आराजीयात उसके नाम दर्ज हो गई हैं परन्तु आराजीयात राजस्व कर्मियों की त्रुटि से प्रतिवादीगण के नाम ही चलती रही है। गत दिनों जमीनों की कीमतें बढ़ जाने व प्रतिवादीगण के नाम उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रतिवादीगण ने दिनांक 24.01.2015 को आराजीयात को बेचान करने की धमकी दी इस पर वादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्पूर्ण दस्तावेज निकलवाकर यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजी वर्णित वाद–पत्र के मद नम्बर 1 में आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वह वादी के हिस्से की आराजीयात में कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी उत्पन्न नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 12/10/2015 को वादी की ओर से श्री उदय सिंह चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 02/05/2016 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री संजय सिंह सिरोही एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग पेश की। दिनांक 08/03/2017 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया।

दिनांक 18/05/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साखून, तहसील दूदू में पेश हुई। कैम्प में वादी व पैराकार उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल के कैम्प में उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस कैम्प कोर्ट साखून में मजमे आम में सुनी गयी।

उप खण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, जवाब पैरोकार एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात नकल फोटो प्रति विकय–पत्र, नकल ना.स. 1758, नकल जमाबन्दी सम्वत 2037–2040,नकल जमाबन्दी सम्वत

Scanned by CamScanner

2041 से 2044, नकल जमाबन्दी सम्वत 2045 से 2048, नकल मिलान क्षैत्रफल, फोटो प्रति जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक विकय–पत्र दिनांक 18/2/1983 के अवलोकन से विवादित आराजीयात पूर्व खातेदार कालू पुत्र लादू व देवा पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासीगण साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर से वादी द्वारा कय किया जाना पाया जाता है लेकिन हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 में अभी तक खातेदार कालू, देवा पि. लादू का ही नाम दर्ज चला आ रहा है, विकय–पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1758 दिनांक 10/11/1985 वादी के हक में तस्दीक हो चुका था जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज हो गया लेकिन उसके पश्चात जो जमाबन्दीयां बनायी गयी उसमें वादी का नाम दर्ज नही कर पुनः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का ही नाम दर्ज कर दिया गया है, वादी ने अपना वाद–पत्र पेश कर विकय–पत्र के आधार पर खातेदारी चाही हैं, इस बाबत तहसीलदार दूदू ने अपने जवाब में वादी के हक में मुताबिक विकय–पत्र के डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई है, मजमे आम में जानकारी करने पर भी विवादित आराजी पर कब्जा काश्त वादी का होना पाया जाता है, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 बावजूद तामिल के न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई आपत्ति पेश हुयी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद डिक्री योग्य पाया जाता हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 499 रकबा 1.21 हैक्टेयर वाके ग्राम साखून, तहसील दूदू, जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/5/17 को कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साखून में मजमे आम में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी / उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner